3143

15

अप्र./उप आयुक्त/

दिनांक

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-21/2010/सत्रह/मेडि-3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग,
2- अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
4- रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5- समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6- समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः- भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर - को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्वि बावत्।

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9-21/2010/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 22/02/2011 के अनुक्रम में भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु दिनांक 22/02/2012 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तो एवं निधारित दरों के अनुसार जारी दिनॉक से आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्वि की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि./चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9-21/2010/सत्रह/मेडि-3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)- 1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2- सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐ, म.प्र.।
4- संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5- संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6- संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7- समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय ,म.प्र. ।
8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10- लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11- संचालक, भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचा(MR)

नि.सह../स्वा. आयुक्त/3143
02/8/12
दिनांक

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–3/2012/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषय:– भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर – को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्वि बाबत्।

....

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9–3/2012/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 10/01/2012के अनुक्रम में भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इंदौर को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु दिनांक 10/01/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये निम्नांकित जांच/उपचार हेतु मान्यता अवधि में वृद्वि की जाती है:–

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	Palliative Radiotherapy	20000/-(Rs 2000 Single Fraction maxiem 10 Fraction)
2	Conventional Radiotherapy	35,000/-
3	3D CRT Plan	60,000/-
4	IMRT Plan	95,000/-
5	IGRT Plan	150,000/-

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–3/2012/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐ, म.प्र. ।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल, ।
7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविधालय ,म.प्र. ।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11– संचालक, भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचा(MR)

नि.सहा./स्था. आयुक्त/ 3143
दिनांक 2/8/13

17

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-15/2013/सत्रह/मेडि-3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग,
2- अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
4- रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5- समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6- समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः- सेठ मन्नु लाल जगन्नाथ ट्रस्ट रिसर्च सेंटर दीक्षितपुरा जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

..........0000000..........

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत सेठ मन्नु लाल जगन्नाथ ट्रस्ट रिसर्च सेंटर दीक्षितपुरा जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.	उपचार/जांच	दर
1	**Neuro Surgery**	रूपये 60,000/-
2	**Spinal Surgeris**	
A B C	Cervical Dorsel Lumber	14,500/- 14,500/- 14,500/-
3	**Head injury**	
	Acute SDH EDH	16,375/- 16,375/-
	Melignat Tumor	20,700/-
	Benign Tumor	21,200/-
	RFLG For trigeminal	8,550/-
	Orthopedic & Trauma	
1	Total Knee Replacament	99,000/-
2	Total Elbow Replacament	90,000/-
3	Partial HIP Replacament	50,000/-
4	Total Shoulder Joint Replacament	94,000/-
5	Total HIP Replacament	81,000/-
	Other Diseas	
1	Phaco amulicificatuon with bio phocal IOL	5000/- Per Eye + Cost of Lence
2	Phaco amulicificatuon orolance Surgery	3000/-
3	Echo/colour Doppler/ECG	1000/-
4	TMT	1000/-
5	Endoscopy	800/-
6	Hemo Dialysis (per sitting)	500/-Per Sitting

संपादक (MR)

निरंतर ...2

2-- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :-

1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

4-- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

5-- संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय -समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जाच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगें ।

7 - उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8- उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10-संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/-यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर 3

18

पृ.क्रमांक एफ 9–15/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– संचालक, सेठ मन्नु लाल जगन्नाथ टस्ट रिसर्च सेंटर दीक्षितपुरा जबलपुर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143
.../... आयुक्त/
...8/13

19

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–4/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः– जामदार हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड गोल बाजार जबलपुर – को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्वि बावत्।

....

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9–4/2011/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 16/10/2012 के अनुक्रम में जामदार हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड गोल बाजार जबलपुर – को शासकीय सेवक एवं सेवक उनके परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु दिनांक 16/10/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्वि की जाती है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–4/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐ, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ,म.प्र. ।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11– संचालक, जामदार हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड गोल बाजार जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सचा।(MA)

म.सहा./स्वा. आयुक्त/ 3143
दिनांक 02/8/13

20

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–8/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः– सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागरथ चौक जबलपुर – को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण एवं राज्य के न्यायिक अधिकारी एवं सेवक तथा उनके परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्वि बाबत्।

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9–08/2011/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 22/02/2011 के अनुक्रम में सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागरथ चौक जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण एवं राज्य के न्यायिक अधिकारी एवं सेवक तथा उनके परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु दिनांक 21/02/2012 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तो एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्वि की जाती है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–8/2011/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय ,म.प्र. ।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11– संचालक, सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागरथ चौक जबलपुर की ओर सूचनार्थ

संचा (MR)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नि.राहा. / र.रा. आयुक्त / 3141
दिनांक 02/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9– 6 / 2013 / सत्रह / मेडि–3

भोपाल,दिनांक 29 / 07 / 2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः–आशीष हॉस्पिटल, जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच / उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

..........0000000..........

राज्य शासन एतदद्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम –2 (च) के अन्तर्गत आशीष हॉस्पिटल, जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के निम्नलिखित जांच / उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिए सशर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

संक.	समिति द्वारा अनुशंसित उपचार / जांच	समिति द्वारा अनुशंसित दरें
	आर्थोपेडिक	
1	Total Knee Replacament	रूपये 99,000/-
2	Total HIP Replacament	रूपये 81,000/-
3	Partial Replacament of Hip Joint	रूपये 50,000/-
	कैंसर सर्जरी	
1	कैंसर लन्ग	रूपये 50,000 / –
2	कैंसर लिप	रूपये 49,000 / –
3	कैंसर एसोफिगस	रूपये 75,000 / –
4	कैंसर ब्रेस्ट	रूपये 50,000 से 1,00,000 / –
5	कैंसर बक्कल म्यूकोजा	रूपये 45,000 / –
6	कैंसर ब्लड ए.एल.एल.	रूपये 1,50,000 / –
7	कैंसर सकेन्ड्री ब्लेडर	रूपये 50,000 / –
8	कैंसर ओवरी	रूपये 1,00,000 / –
9	कैंसर रेक्टम	रूपये 75,000 / –
10	कैंसर चीक	रूपये 50,000 / –
11	कैंसर लेगफोमा	रूपये 50,000 / –
12	कैंसर सिलेवरी ग्लैंड	रूपये 30,000 / –
13	कैंसर टेस्टिज	रूपये 50,000 / –
14	कैंसर ल्यूकेमिया सी.एम.एल.	रूपये 1,50,000 / –
15	कैंसर वेजाइना	रूपये 50,000 / –
16	कैंसर एक्यूट मेलोइड लेक्युमिया ए.एम.एल	रूपये 2,00,000 / –

निरंतर.

सं.ले. (MR)

17	कैंसर पेनक्रियाज	रूपये 75,000/-
18	कैंसर मेक्झिला	रूपये 50,000/-
19	कैंसर प्रोस्टेज	रूपये 75,000/-
20	कैंसर स्टोमक	रूपये 50,000/-
21	कैंसर पेनिस	रूपये 50,000/-
22	कैंसर किडनी	रूपये 50,000/-
23	कैंसर गर्भाशय	रूपये 50,000/-
24	कैंसर बिलमस टयूमर	रूपये 50,000/- प्रति सिटिंग
25	कैंसर यूरिनरी ब्लेडर	रूपये 75,000/-
26	कैंसर एनल केनाल	रूपये 50,000/-
27	कैंसर लारनेक्स	रूपये 50,000/-
28	कैंसर नासोफारेक्स	रूपये 40,000/-
29	कैंसर थायरायड	रूपये 25,000/-
30	कैंसर आरबीटल ट्यूमर	रूपये 50,000/-
31	कैंसर चमड़ी	रूपये 25,000/-
32	कैंसर चेस्टवाल ट्यूमर	रूपये 50,000/-
	न्यूरोसर्जरी	रूपये 60,000/-
	Dialysis	रूपये 500/- प्रतिसिटिंग
	TMT	रूपये 1000/-
	Holmium laser Emuleation of Prosate PCNL with Laser ICL	रूपये 35,400/-
	Flexible Ureteroscopy with Laser ICL	रूपये 46,100/-
	Rigid Ureteroscopy with Laser ICL	रूपये 24,500/-

2-- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :-

1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।

4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधा उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पायें जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

5- संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय -समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6-- जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविघालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा

निरंतर ...2

महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें।जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे ।

7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9– संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10–संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–8/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविधालय, म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– संचालक, आशीष हास्पीटल जबलपुर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रशा./स्वा. आयुक्त/ 3143
दिनांक 02/ /13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–11/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः– जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रसल कासिंग जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

..........0000000..........

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम –2 (च) के अन्तर्गत जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रसल कासिंग जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

क.	उपचार/जांच	दर
1	Angiography	8,500/- Angiography including coronary, carotid, renal, aortogram peripheral (inclusive of investingation)
2	Angioplasty (PTCA)	50,000/- without stent
3	Balon Mitral Valvoplasty	25,000/-
4	Pace Maker Implantation	55,000/- including CE approved pacemaker for FDA approval 65,000/-
4	Bypass surgery/CABG	1,00,000/-(including coronary angiography)
5	Single Valve Replacement	1,30,000/-
6	Double Valve Replacement	1,65,000/-
7	ASD/VSD	80,000/- ASD Surgical or device closure
		90,000/- VSD closure Surgical or device closure
8	Total HIP Replacament	81,000/-
9	Total Knee Replacament	99,000/-
10	Hemo Dialysis (per sitting)	500/-Per Sitting

संचा(MR)

निरन्तर..........2

2– यह मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :-

1– चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2– चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3– मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

4– जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

5– संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय –समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6– जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें।जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगें ।

7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9-- संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10–संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

11--बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि – ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।

3/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरन्तर.........3

24

पृ.क्रमांक एफ 9–11/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) सचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविधालय, म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– संचालक, जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रसल कासिंग जबलपुर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

./स्वा. आयुक्त/..........
दिनांक 02/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-16 /2013/सत्रह/मेडि-3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग,
2- अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
4- रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5- समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6- समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः- आदित्य सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर नेपियर टाउन जबलपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

..........0000000..........

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम -2 (च) के अन्तर्गत आदित्य सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर नेपियर टाउन जबलपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

क.	उपचार/जांच	दर
1	**Neuro Surgery**	रूपये 60,000/-
2	**Spinal Surgeris**	
A	Cervical	14,500/-
B	Dorsel	14,500/-
C	Lumber	14,500/-
3	**Head injury**	
	Acute SDH	16,375/-
	EDH	16,375/-
	Melignat Tumor	20,700/-
	Benign Tumor	21,200/-
	RFLG For trigeminal	8,550/-
	Orthopedic & Trauma	
1	Total Knee Replacament	99,000/-
2	Total HIP Replacament	81,000/-
	Kidney Disease	
1	Hemo Dialysis	500/-Per Sitting

2- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1- चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2- चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

4- जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

सहा०स०(MR)

निरंतर ... 2

5– संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय –समय पर जांच करने की समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगें।

6– जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/ उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगें। जिला मुख्यालय। पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगें ।

7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/ पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9– संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरो पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10– संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–16/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– संचालक, आदित्य सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर नेपियर टाउन जबलपुर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

26

/ आयुक्त / 3143
2/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–8 / 2013 / सत्रह / मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29 / 07 / 2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर / ग्वालियर / इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः–ताप्ती हास्पिटल बुरहानपुर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

..........0000000..........

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम –2 (च) के अन्तर्गत ताप्ती हास्पिटल बुरहानपुर को शासकीय सेवकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित जांच/उपचार हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये सशर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

क.	उपचार / जांच	दर
	Orthopadic	
1	Total HIP Replacament	रूपये 81,000/-
2	Total Knee Replacament	रूपये 99,000/-
	C.T.Scan	
1	C.T.Scan Head	1600/-
2	C.T.Scan other body part	3000/-
1	Hemo Dialysis (per sitting)	500/-Per Sitting
2	TMT	1000/-
	Spinal Surgeris	
1	Cervical	14,500/-
2	Dorsel	14,500/-
3	Lumber	14,500/-

2– यह मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :–

1– चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी।

2– चिकित्सालय द्वारा उक्त दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।

3– मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

4– जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

5– संचालक चिकित्सा सेवायें व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय –समय पर जांच करने के लिये, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है, संस्थान की जांच कर सकेंगे।

6– जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिए पात्रता है, उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविधालय में कंसलटेन्ट

निरन्तर..........2

को दिखाना होगा। कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे। जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेंगे ।

7– उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने / परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उक्त निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा।

8– उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।

9– संस्थान को जिन निर्धारित दरों (एप्रूव्ड रेट लिस्ट) पर मान्यता प्रदान की गई है उन्ही दरों पर रोगी की जांच की जावेगी ।

10–संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

3/–यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1394/1531/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9–8/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 29/07/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1/2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1394/1531/2013/ नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।

7– अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।

11– संचालक, ताप्ती हास्पिटल बुरहानपुर

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3143
स.ल. अनुभाग/
2/8/13

27

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर ,म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त,म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष,म.प्र.,

विषयः– सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरासा उज्जैन – को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्वि बाबत्।

राज्य शासन एतदद्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 12/09/2012 के अनुक्रम में सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरासा उज्जैन को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु दिनांक 15/02/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तो एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्वि की जाती है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।

2– सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र.भोपाल ।
6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.भोपाल ।
7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ,म.प्र. ।
8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ,म.प्र.।
10– लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11– संचालक, सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरासा उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

0143
क्र. आयुक्त
2/8/13

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

28

क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 30/07/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग,
2– अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3– समस्त विभागाध्यक्ष,
4– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.,
5– समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.,
6– समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.,

विषय:– सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरासा उज्जैन – को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार सदस्यों के जांच /उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि बावत्।

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 दिनांक 12/09/2012 के अनुक्रम में सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरासा उज्जैन को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों के जांच /उपचार हेतु दिनांक 15/02/2013 तक दी गई मान्यता अवधि को पूर्व में वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार आगामी दो वर्ष तक के लिये मान्यता अवधि में वृद्धि की जाती है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–11/2010/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 30/07/2013

प्रतिलिपि:1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।

2– सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 1390/1532/2013/नि/चार, दिनांक 19/07/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।

3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।

4– संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।

5– संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।

6– संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.भोपाल।

7– समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।

8– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

9– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

10– लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।

11– संचालक, सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरासा उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग